



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 सितम्बर 2021—भाद्र 29, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021

क्र. एफ—बी—1—70—2021—2—पांच(14).— मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश विदेशी मंदिरा नियम 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

“ नियम 13 में अंक तथा शब्द “90 दिन” के स्थान पर अंक तथा शब्द “25 दिन” एवं अंक तथा शब्द “60 दिन” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “20 दिन” स्थापित किये जाएं”.

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021

क्र. एफ—बी—01—70—2021—2—पांच(14).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी—01—70—2021—2—पांच (14) दिनांक 20 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20th September 2021

No.F-B-1-70-2021-2-V(14).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,—

“In rule 13, for the figures and words “**90 days**”, the figures and words “**25 days**” and for the figures and words “**60 days**”, the figures and words “**20 days**” shall be substituted”.

- (2) This notification shall come in to force from the date of its publication in the gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.